**@shahjahanpurpol**

**प्रेस-नोट-सराहनीय कार्य दिनाँक-03.11.20**

**मात्र 48 घण्टे में थाना रोजा पुलिस ने किया दुकान चोरी का खुलासा, नगदी सहित चोरी में प्रयुक्त हथौड़ा के साथ शातिर चोर किया गिरफ्तार।**

दिनांक 1/11/2020 को मुकदमा वादी श्री राजीव गुप्ता पुत्र देशराज गुप्ता नि0 ग्राम बल्लिया थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर ने थाना रोजा पर सूचना दी कि उनकी परचून की दुकान से सेंध लगाकर रात्रि मे गोलक मे रखे रूपये व रेजगारी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिये गये हैं। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 620/20 धारा 457/380 IPC पंजीकृत कर घटना की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा घटना के अनावरण व अभियुक्तो की गिरफ्तारी,माल की बरामदगी हेतु थाना रोजा को कड़े निर्देश निर्गत किये।

आज दिनांक 03/11/2020 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशन, संजय कुमार अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय ,सहायक पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में थाना रोजा पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब उ.नि. श्री गुड्डू सिंह व उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मण्डी गेट के सामने कुन्दन पुत्र रामसरण नि0 बल्लिया थाना रोजा जिला शाहजहाँपुर समय करीब 13.30 बजे गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण कर चोरी गया माल बरामद किया। पूंछताछ मे अभि0 कुन्दन पुत्र रामसरण ने बताया कि मैने अपने साथी पट्टे पुत्र मेवाराम के साथ मिलकर दिनांक 30/31 की रात्रि मे बल्लिया चौराहे पर स्थित राकेश गुप्ता की दुकान मे हथौडे से दीवार तोड़कर दुकान मे चोरी की थी। जिसमे करीब 15600 रू0 व रेजगारी मिले थे। जिनको हम लोगों ने आधा- आधा आपस मे बाँट लिया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना रोजा पर विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

**बरामद माल का विवरणः-**

1. 2640 रू0 नगद चोरी किये गए
2. नकब मे प्रयुक्त एक हथौड़ा

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. कुन्दन पुत्र रामसरण नि0 बल्लिया थाना रोजा जिला शाहजहाँपुर

**फरार अभियुक्त-**

1. पट्टे पुत्र मेवाराम नि0 बल्लिया थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. उ.नि. श्री गुड्डू सिंह थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर
2. का0 913 महेश यादव थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर।
3. का0 1402 मोहसिन उस्मानी थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर।
4. का0 1909 कपिल कुमार थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर।